राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः निस / प्रशास / चिस्वा / 2020 /   जयपुर, दिनांकः 14 / 10 / 2020

परिपत्र

प्रदेश में कोविड–19 से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 मेनेजमेंट हेतु एसिंप्टोमेटिक कोविड–19 पेशेंट को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति भी दी जा रही है। इस क्रम में निम्नानुसार पालना सुनिश्चित करावें–

1. होम आईसोलेटेड कोविड–19 पॉजिटिव पेशेंट के उपचार एवं उनके इस हेतु व्यक्तिगत प्रश्नों एवं समस्याओं के निदान के संबंध में एक दिशा–निर्देश पुस्तिका जारी कर जिलों को भिजवाई गई है, जिसमें उन्हें होम आइसोलेशन के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ तथा आवश्यक चिकित्सा की जानकारी प्राप्त हो सके। अतः यह सुनिश्चित कराएं की जिन कोविड–19 पेशेंट को होम आइसोलेशन अनुमत किया जाता है, उन्हें यह दिशा–निर्देश पुस्तिका आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। इस हेतु जिला स्तर पर भी समुचित संख्या में यह पुस्तिकाएं छपवाई जा सकती हैं।

2. इन होम आइसोलेटेड कोविड–19 पॉजिटिव पेशेंट को MNDY के तहत निम्न दवाएँ भी उनके घर पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे–
   (1) Tab Paracetamol - 10 Nos.
   (2) Tab Zinc Sulphate 50 Mg. - 10 Nos.
   (3) Tab Vitamin C 500 Mg - 20 Nos.

   इन दवाइयों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) अपने जिले के DDW से प्राप्त कर सकेंगे एवं इन दवाओं एवं मार्ग दर्शित पुस्तिका को एक जिपर बेग में डालकर एक किट तैयार की जावे। इसके अतिरिक्त 10 सर्जिकल मास्क भी उक्त किट में रखवाए जाएं।

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के अधीन / अथवा जिला वार रूम में उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा 14 दिन के होम आइसोलेशन पीरियड के दौरान, न्यूनतम तीन बार, कोविड पेशेंट से दूरभाष पर संपर्क कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जावेगी तथा आवश्यकतानुसार परामर्श दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर Patient को COVID अथवा ILI Symptoms दृष्टिगत होने पर चिकित्सालय में भर्ती करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय की टीम, 14 दिन बाद कोविड पेशेंट को कॉल करके, उसके स्वास्थ्य की जानकारी के आधार पर, उसे जानकारी देगी कि वह आइसोलेशन समाप्त कर सकता है या नहीं। Post COVID Care हेतु दिशा–निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

कोविड–19 से संबंधित प्रबंधन के लिए Emergency COVID Response Fund के मद में उपलब्ध कराए गए बजट का भी प्रयोग किया जा सकेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. जन संपर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर।
14. निजी / रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव